रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1984/आश्विन 7, 1906
No. 392] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1984/ASVINA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1984

अधिसूचना

सा० का० नि० 703 (अ) :—भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ संख्या 1314—1321 पर नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कन्ध) के दिनांक 29.मई, 1980 के सा० का० नि० सं० 631 में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ प्रकाशित मद्रास पत्तन (बन्दरगाह यान) नियमावली, 1980 में आगे और संशोधन करते हुए कुछ नियमों के निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उन्हें उक्त धारा की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

2. पैंतालिस दिन की ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) ये नियम मद्रास पत्तन (बन्दरगाह यान) (संशोधित) नियम, 1984 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र के अन्तिम रूप से प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मद्रास पत्तन (बन्दरगाह यान) नियमावली, 1980 में (क) खण्ड (क) के पहले नियम 3 में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(कक) "परिशिष्ट" का अर्थ है इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट (ग)";

(ख) नियम 5 में

(1) उप नियम (3) का खण्ड (ग) निकाल दिया जाए

(2) उप नियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) सभी बन्दरगाह यानों को माप भूतपूर्व मद्रास सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 मई, 1899 की समय-समय पर यथा संशोधित जी० ओ० (संख्या 384) (परिशिष्ट ग के रूप में पुनः उद्धरित) के अनुसार की जाएगी।

(ग) नियम 14 के उप नियम (4) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

"(4) अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में लादे गए माल को हुई पूर्ण अथवा आंशिक हानि, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में किसी संभावित दावे को भी पूरा करेगा, जब तक कि अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में लादे गए माल को हुई ऐसी हानि अथवा नुकसान के सम्बन्ध में पंजीयक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा जाँच के आधार पर यह साबित न हो गया हो कि यह सोरंग अथवा सुखानी अथवा टिण्डल जिन्होंने कि उक्त बन्दरगाह यान का संचालन किया था, के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है।"

(घ) नियम 34 में "इस सम्बन्ध में सुसंगत नियमों" शब्दों के लिए "भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908, अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 अथवा व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

(ङ) नियम 35—(1) में "इस सम्बन्ध में सुसंगत नियमों" शब्दों के लिए "भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908, अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 अथवा व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) टिप्पण (2) हटा दिया जाए, तथा टिप्पण (3) और (4) को टिप्पण (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(च) परिशिष्ट ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुबन्ध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

परिशिष्ट "ग"

मद्रास सरकार (1899)

समुद्री

प्राप्त किया / पंजीकृत 1899 संलग्नक अतिरिक्त प्रतियाँ

जी० ओ० संख्या 384,
3 मई, 1899

मई

देशी यानों की माप

वर्तमान में लागू नियमों का अधिक्रमण करते हुए मद्रास प्रेजिडेन्सी के अनेक पत्तनों में अपनाए जाने वाले तथा लागू किए जाने वाले....के लिए कुछ विशेष नियमों का निर्धारण करने वाली अधिसूचना को फोर्ट सैण्ट जार्ज और सभी समुद्री जिला राजपत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है।

मद्रास सरकार

समुद्री विभाग

निम्नलिखित कागजातों को पढ़ें :—

प्रेजिडेन्सी पोर्ट आफिसर, मद्रास से दिनांक 2-3-1899, सं० 337/80 जी

प्रेजिडेन्सी पोर्ट आफिसर, मद्रास से दिनांक 29-3-1899, सं० 337/123 जी

आदेश :—दिनांक 3-5-1899, संख्या 384

आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित अधिसूचना फोर्ट सैंट जार्ज तथा सभी समुद्री जिला राजपत्रों में प्रकाशित की जाए—

अधिसूचना

1850 के अधिनियम 11 (1841 के अधिनियम 10, जो कि जहाजों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है, को संशोधित करने वाला अधिनियम) के भाग 3 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल तथा उनकी परिषद् निर्देश देते हैं कि वर्तमान में लागू नियमों का अधिक्रमण करते हुए मद्रास प्रेजिडेन्सी के अनेक पत्तनों में देशी जलयानों के माप के लिए निम्नलिखित विशेष नियम अपनाए जाएं तथा लागू किए जाएं।

I

खुली नौकाओं को छोड़कर अन्य देशी जलयानों के माप के लिए नियम।

स्टेम के पिछले भाग से स्टर्न-पोस्ट के अगले भाग तक डैक के साथ-साथ लम्बाई मापें।

द्वितीय—चौड़ाई सबसे अधिक चौड़े भाग से भीतरी या बाहर की लकड़ी या लोहे तक।

तृतीय—गहराई नीचे पम्प-वैल से स्किन तक टनेज डॉक के अंतर्गत।

हल

इन तीनों परिधियों का एक-साथ गुणा करें तथा गुणनफल को 130 से भाग दें तथा भागफल ऐसे जलयानों के हल का टनेज होगा।

यदि जलयान में पूप अथवा अन्य तंग स्थान हो तो उसके ऐसे भाग, चाहे वह घिरा हुआ हो और जो बल्कहैडज में शामिल हों, के अन्दर की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई मापें।

पूप अथवा अन्य तंग स्थान सबसे अधिक बल्कहैड के अन्दर है अथवा नहीं।

इन दोनों मापों का एक साथ गुणा करके तथा गुणनफल को .4 से भाग करने पर भागफल टनों की वह संख्या होगी जो कि ऐसे जलयान के हल की टन संख्या में जोड़ी जानी है।

टिप्पणी :—चौड़ाई मापने में अन्दर की प्लेनकिंग की भीतरी तरफ की स्किन और यदि किसी नौका अथवा जलयान में अन्दर की प्लेनकिंग न हो तो टिम्बरों की भीतरी भाग के ऊपर अथवा उसके सामने लगाई गई पतली बैटन अन्दरूनी स्किन को दर्शाएगा और गहराई मापने में टिम्बर का फर्श या उसके अभाव में कैलसन का ऊपरी भाग स्किन को दर्शाएगा।

II

खुली नौकाओं के रूप में देशी यानों के माप के लिए नियम

लम्बाई जलयान की कील की लम्बाई को अन्दर से संक्रेय में सही स्थान जहां कि स्टेम तथा स्ट्रन पोस्ट इससे जुड़े हुए हैं, से मापा जाए।

जलयान के अन्दर की तरफ कील के ऊपरी सिरे के बीच का चिन्ह जो कि स्टेम तथा स्टेर्स-स्क्रैस से समान-दूरी पर है "केन्द्र" कहा जायेगा।

चौड़ाई —"केन्द्र" में जलयान की बाहरी लैकिंग के अन्दरूनी भाग के पक्ष से पक्ष तक की गनवेल दूरी के नीचे के निकटतम भाग से मापें।

गहराई—ऊपरी किनारे के एमिडशिप से अथवा फ्लोर टिम्बर की चोटी पर अथवा "केन्द्र" से कम से कम दूरी पर से जलयान के मुख्य रूप से लगाए गए बीम के ऊपरी किनारे के स्तर तक ऊँचाई मापें।

पुन: ऊपरी किनारे एमिडशिप से अथवा फ्लोर टिम्बर की चोटी पर अथवा "मध्य" से कम से कम दूरी पर से ऊपरी गनवेल्ज के पार तथा उस पर टिकाए गए सीधे किनारे के बैटन के अन्दर की तरफ की ऊँचाई मापें अथवा जलयान के सबसे ऊँचे स्ट्रैक चाहे अस्थायी हो या अन्यथा की चोटी पर से ऊँचाई मापें।

गहराई के इन दोनों मापों को इकट्ठा जमा करें तथा 2 से भाग दें और यह टनेज की गणना के लिए प्रयुक्त की गई मध्य गहराई है।

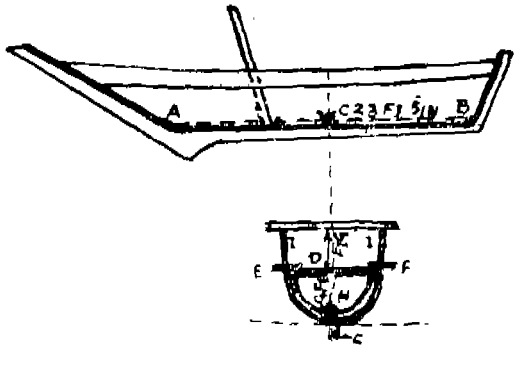

लम्बाई : क से ख तक दिखाई गई डॉटेड रेखा, अनुमानत: 47 फुट, ग "मध्य" ; संक्रेय के स्थान जहां स्टेम तथा सेंट्रेन-पास्ट कील को जोड़ते हैं से लम्बों के बीच, अनुमानत: 23'-5

चौड़ाई : बाहरी लेकिंग के अन्दरूनी भाग से ड़ से च तक की डॉटिड रेखा अर्थात् 16 फीट।

गहराई : (1) मध्य में फ्लोर टिम्बर के ऊपरी किनारे ग से रेखा, लगाए गए मुख्य बीम का ऊपरी किनारा ग से घ अनुमानत: 6 फुट। (2) फ्लोर टिम्बर के ऊपरी किनारे से, गनवेल्ज अथवा ऊपरी स्ट्रैक्स के पार डाली गई बैटन छ की निचली तरफ तक ग से छ तक डॉटिट रेखा, अनुमानत: 11 फुट,

छ छ जमा ग घ को 2 से विभाजित किया = टनेज के लिए मीन गहराई

अथवा मान लो 6' जमा 11' = 17' जिसे 2 से भाग किया = 8.5 फुट

नियम : लम्बाई को चौड़ाई से गुणा करें और फिर गुणनफल को गहराई से गुणा करें तथा टनेज के लिए 100 से भाग दें।

उदाहरण :

पहली गहराई	6 फुट	लम्बाई	47
दूसरी गहराई	11 फुट	चौड़ाई	16
	---		--
	17 फुट		282
			47
	÷ 2 = 8.5 गणना के लिए मध्य		752
			8.5

			3760
			6016

			63, 92.0

$63\frac{92}{100}$ टन =

किसी देशी जलयान, चाहे वह रुका हो या खुले जल में हो, का माप या पुन: माप लेने में, उसकी रजिस्टर की गई टनेज का निश्चय करने के प्रयोजन के लिए टनेज के माप में शामिल किए गए स्थान में से निम्नलिखित कटौतियां की जाएंगी :—

(क) केवल मास्टर के आवास के लिए प्रयोग किया गया स्थान ; तथा नाविकों या प्रशिक्षुओं द्वारा अधिग्रहण किया गया स्थान जो कि उनके उपयोग के लिए व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1894 की छठी अनुसूची के अनुसार उचित प्रमाणित किया गया हो।

(ख) केवल हेलम, कैपस्टन तथा इन्चर गियर के कार्य-चालन अथवा चार्टों, सिगनलों और नौपारवहन के दूसरे उपस्करों तथा बॉटसवैनस स्टोरों को रखने के लिए प्रयोग किया स्थान ।

(ग) अलग से रखा गया कोई स्थान जो केवल सेलज का भण्डारण करने के लिए प्रयोग किया गया हो।

टिप्पणी : नाविक अथवा प्रशिक्षुओं द्वारा अधिग्रहण किए गए स्थान तथा पूर्वोक्त के अनुसार प्रमाणित की गई कटौती को छोड़कर ऊपर स्वीकृत की गई कटौती निम्नलिखित व्यवस्थाओं की शर्त के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) जिस अपेक्षित प्रयोजन के लिए सीमा में रहते हुए और व्यवस्थित ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निर्माण किए जाने के लिए स्थान की कटौती की गई है उसके बारे में यान सर्वेक्षक द्वारा उचित प्रमाण-पत्र दिया जाए ।

(ii) ऐसे प्रत्येक स्थान के अन्दर या बाहर स्थायी रूप से चिन्हित सूचना अवश्य दी जाए कि किस प्रयोजन के लिए इसे लागू किया जाना है तथा इस प्रकार से लागू किए जाने पर इसे जहाज के टनेज में से कम कर दिया जाएगा ।

(iii) सेलज के भण्डारण के लिए स्थान के कारण की जाने वाली कटौती जहाज के टनेज के 2 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

IV

यूरोप में बने जलयानों का माप करने में सर्वेक्षक पूर्ण रूप से व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1894 की व्यवस्थाओं द्वारा मार्ग निर्देश ग्रहण करेंगे।

2. प्रेजिडैन्सी पोर्ट आफिसर 1 वर्ष के परीक्षण के बाद नए नियमों के प्रभाव के बारे में सूचित करेंगे।

[संख्या पी० डब्ल्यू०/पी० जी०एल०-34/80]

पी० सी० राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 29th September, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 703(E).— The following draft of certain rules further to amend the Madras Port (Harbour Craft) Rules, 1980 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. GSR 631, dated the 29th May ,1980 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), at pages 1314-1321, which the Central Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft within a period of forty five days as specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Madras Port (Harbour Craft) (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Madras Port (Harbour Craft) Rules, 1980,

(a) in rule 3 before clause (a) the following clause shall be substituted", namely :—

"(aa) 'Appendix' means Appendix

(c) attached in these rules.'

(b) in rule 5,—

(i) clause (c) of sub-rule (3) shall be omitted,

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) all harbour crafts shall be measured in accordance with G.O. No. 384, Marine, dated the 3rd May, 1899, issued by the erstwhile Government of Madras, (reproduced as Appendix C) amended from time to time.

(c) for sub-rule (4) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The owner of the licensed harbour craft shall also meet any possible claim for the value of the goods that have been loaded in the licensed harbour craft and which have sustained loss or damage, if any, in full or in part unless such loss or damage sustained by the cargo loaded in the licensed harbour craft is proved to have taken place due to the circumstances beyond the control of the Syrang or sukhany or Tindal who have manned the said harbour craft based on an inquiry conducted in this behalf by the Registering Officer or any officer authorised by him.";

(d) in rule 34 for the words "the relevant rules—in this behalf" the words "the rules framed under the Indian Ports Act, 1908, the Inland Steam Vessels Act, 1917, or the Merchant Shipping Act,1958" shall be substituted.

(e) in rule 35 —(i) for the words "the relevant rules in this behalf" the words "the rules framed under the Indian Port Act 1908, the Inland Steam Vessels Act, 1917 or the Merchant Shipping Act, 1958" shall be substituted.

(ii) Note (2) shall be omitted; and Notes (3) and (4) shall be renumbered as Notes (2) and (3)

After Appendix B, the following Annexure shall be inserted, namely:—

APPENDIX 'C'

GOVERNMENT (1899) OF MADRAS

MARINE

Recd. } 1899 Enclosures
Regd. }

Spare copies

G.O. No. 384, 3rd May, 1899.

May.

Measurement of Native Craft

Ordering, with remark, the publication, in the Fort St. George, and all Maritime District Gazettes, of the notification laying down certain special rules for the .....to be adopted and enforced at the several ports of the Madras Presidency in supersession of the rules now in force.

GOVERNMENT OF MADRAS

Marine Department

Read—the following papers :—

From the Presidency Port Officer, Madras dt. 2-3-1899

" " " " No. 337/80 G.
dt. 29-3-1899
No. 337/123 G.

ORDER—No. 384, Marine dt. 3-5-1899.

Ordered that the following notification be published in the Fort St. George and all Maritime District Gazettes :-

NOTIFICATION

Under the provisions of Section 3 of Act XI of 1850 (An Act to amend Act X of 1841 which relates to the registration of ships) His Excellancy the Governor in Council directs that the following special rules for the measurement of native craft be adopted and enforced at the several ports of the Madras Presidency in supersession of the rules now in force.

I

Rules for the measurement of native craft other than open boats.

Measure the length along the deck from the after part of the stem to the fore part of the stern-post

Secondly—The breadth from the broadest part from skin to skin.

Thirdly—The depth from under the tonnage dock down the pump-well to skin.

Hull

Multiply these three dimensions together and divide the product by 130, and the quotient will be the tonnage of hull of such vessel.

If the vessel have a poop or other closed in space, measure the inside length, breadth, and height of such part thereof as may be included within the bulkheads, whether enclosed.

Poop or other closed in space. Within foremost bulkhead or not.

Multiply these three measurements together, and dividing the product by 92.4 the quotient will be the number of tons to be added to the tonnage of hull of such vessel.

Note :—In measuring breadth, the skin in the inner side of the inner planking, and if a boat, or vessel has not inner planking, a thin batten laid on or against the inner side of the timbers would represent the inner skin, and in measuring depth the floor timber or, in its absence, the upper part of the kelson shall represent the skin.

II

Rules for the measurement of native craft being open boats

Length—Measure the length of the keel of the vessel inside from the exact point in the scrap where the stem and stern-post are joined to it.

Mark on the middle of the upper edge of the keel inside the vessel a point equi-distant from the stem and stern scraps to be called the "Centre".

Breadth—At the "Centre" measure across close up underneath the gunwale the distance from side to side of the inner faces of the outer planking of the vessel.

Depth—From amidships of the upper edge or top of the floor timber at or nearest the "centre" measure the height to the level of the upper side of the main fixed beam of the vessel.

Again from amidships of the upper edge or top of the floor timber at or nearest to the "Centre" measure the height to the underside of a straight-edged batten placed across and resting on the upper gunwales, or on the top of the highest strake, temporary or otherwise, of the vessel.

Add both these depth measurements together, and divide by 2, which is the mean depth to be used for calculating the tonnage.

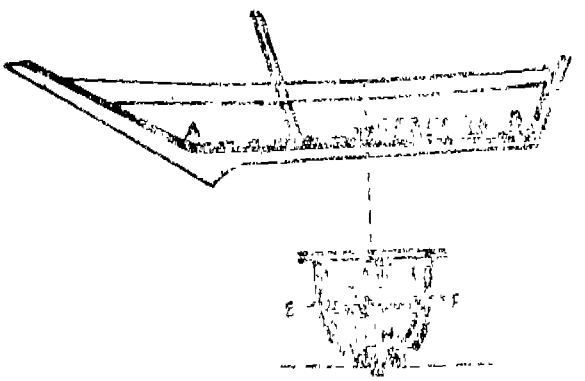

Length—Shown be dotted lines from A to B, say 47 ft., C the 'Centre; between perpendiculars, say 23'—5 from the point in the scraps where the stem and stern-post join the keel.

Breadth—Dotted lines from E to F inner faces of the outer planking, say 16 feet.

Depth—(1) Line from C upper edge of floor timber at the centre, C to D upper edge of main fixed beam, say 6 feet.

(2) Dotted line from C to G from upper edge of floor timber to under side of batten G laid across gunwales or upper, strakes, say 11 feet, i.e.—

GG plus CD divided by 2=mean depth for tonnage
or say 6' plus 11' =17' divided by 2=8.5 ft. do-

Rules : Multiply the length by the breadth, and then the product by the depth, and divide by 100 for the tonnage.

Example :

1st depth	6 ft.	Length	47
2nd depth	11 ft.	Breadth	16
(2)	17		282
			47
	8.5 mean for calculating		752
			8.5
			3760
			6016
	$63 \frac{92}{100}$ tons		63.92.0

In measuring or re-measuring a native craft, whether decked or open, for the purpose of ascertaining her registered tonnage, the following deductions shall be made from the space included in the measurement of the tonnage, namely :—

(a) Any space used exclusively for the accommodation of the master : and any space occupied by seamen or apprentices and appropriated to their use, which is so certified—vide 6th Schedule to the Merchant shipping Act, 1894.

(b) Any space used exclusively for the working of the helm, the Capstan, and the anchor gear, or for keeping the charts, signals and other instruments of navigation, and [illegible] stores.

(c) Any space set apart and used exclusively for [illegible]rage of sails.

Note :—The deductions above allowed, other than a deduction for a space occupied by seamen or apprentices, and certified as aforesaid, shall be subject to the following provisions, namely :

(i) The space deducted must be certified by a surveyor of ships as reasonable in extent and properly and efficiently constructed for the purpose for which it is intended.

(ii) There must be permanently marked in or over every such space a notice stating the purpose to which it is to be applied, and that whilst so applied it is to be deducted from the tonnage of the ship.

(iii) The deduction on account of space for storage of sails must not exceed 2 1/2% of the tonnage, of the ship.

IV

In the measurement of vessels of European build, surveyors will be guided solely by the provisions of the Merchant shipping Act, 1894.

2. The effect of the new rules will be reported on by the Presidency Port Officer after a year's trial.

[No. PW/PGL/34/80]

P.V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984